न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2019

1. वालेश पुत्र श्री रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी मकान नंबर 1 पी. बडी रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

— :: निर्णय ::— दिनांक :– 08.08.2019

प्रार्थी वालेश द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता रामजी लाल पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी 1 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से चक 1 पी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/59 के मुरब्बा नम्बर 15 में किला नम्बर 16 से 23 कुल 8 बीघा (2.024 हैक.)रकबा है। जिसकी जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम राम लाल अंकित है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 05.05.2018 को हो चुका है जिसका परिवाद सदस्य प्रमाण पत्र दिनांक 17.04.2019 को जारीशुदा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरान्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं उसकी माता एवं बहन को न्यायगत प्राप्त होगी। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम रामजी लाल है, प्रार्थी के पिता के वोटर कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भी रामजीलाल नाम अंकित है। प्रार्थी चक 1 पी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 15 की जमाबंदी में पिता का नाम दुरूस्त करवा कर राम लाल के स्थान पर रामजीलाल अंकित करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा पिता के नाम जमाबंदी में नाम सही करवाने के लिए दिनांक 10.05.2019 को तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर में निवदेन किया था, लेकिन इन्कार करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि चक 1 पी बडी तहसील व जिला श्रीगंगागनर के खाता संख्या 60/59 के मुरब्बा नम्बर 15 में किला नम्बर 16 से 23 कुल 8 बीघा (2.024) हैक. नहरी रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम राम लाल के स्थान पर रामजीलाल दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडावाली पं. स. श्रीगंगानगर का जारी प्रमाण पत्र, रामजी लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.05.2018 की स्वयं हस्ताक्षरित फोटो प्रति, रामजी लाल का अधार कार्ड कमांक 7085 4603 0896 की स्वयं हस्ताक्षतिर फोटो प्रति, रामजी लाल का भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र कमांक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

RJ/01/004/507704 की स्वयं हस्ताक्षतिर फोटो प्रति, सभापति नगर परिषद हनुमानगढ द्वारा जारी परिवार सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी वालेश पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी रोहिडावाली के सम्बन्ध में जांच की गई तथा पाया कि वालेश के पिता का नाम रामजीलाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार सही है जबकि 1 पी बडी के खाता से 60 में रामलाल पुत्र मनीराम अंकित है। जो कि मुताबिक जांच एवं प्रार्थी द्वारा दिये गये रिकार्ड के अनुसार रामजीलाल पुत्र मनीराम किया जाना उचित है। सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडावाली द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है तथा घटनाबही की फोटो प्रति संलग्न है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 1 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगागनर के खाता संख्या 60/59 के मुरब्बा नम्बर 15 में किला नम्बर 16 से 23 कुल 8 बीघा (2.024) हैक. नहरी रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम राम लाल के स्थान पर दुरूस्त कर रामजी लाल दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 08.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *